रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012022-232463
CG-DL-E-06012022-232463

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 6, 2022/पौष 16, 1943
No. 72] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 2022/PAUSHA 16, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2022

का.आ. 73(अ)- केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'रीजनल एयर कनेक्टिविटी फंड ट्रस्ट (पैन-AADTR1130P), केन्द्र सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट को उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए, उक्त ट्रस्ट को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, अधिसूचित करती है, नामतः

(क) सरकार से प्राप्त अनुदान;

(ख) एयरलाइन्स से उगाही की प्राप्ति;

(ग) एयरलाइन्स द्वारा बाध्यता की पूर्ति न करने के कारण बैंक गारंटी की जब्ती; और

(घ) उपर्युक्त (क) से (ग) पर अर्जित ब्याज आय।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी जो रीजनल एयर कनेक्टिविटी फंड ट्रस्ट,-

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न न हों;

(ख) क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा(4ग) के खण्ड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी फाईल करेंगे।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2020-21 में 01-06-2020 से 31-03-2021 की अवधि के लिए लागू की गई समझी जाएगी एवं वित्तीय वर्षों 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 1 /2022/फा. सं. 300196/28/2019-आईटीए-I]

सौरभ जैन, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2022

S.O. 73(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Regional Air Connectivity Fund Trust (PAN AADTR1130P), a trust constituted by the Central Government, in respect of the following specified income arising to that trust, namely:-

(a) Grant from Government;

(b) Receipt of levy from Airlines;

(c) Forfeiture of bank guarantee due to non-fulfillment of obligation by Airlines; and

(d) Interest income earned on (a) to (c) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Regional Air Connectivity Fund Trust, -

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the period from 01.06.2020 to 31.03.2021 for the financial year 2020-2021 and shall apply with respect to the financial years 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 and 2024-2025.

[Notification No. 1/2022/F. No. 300196/28/2019-ITA-I]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.06 21:22:29 +05'30'